Regarding proper implementation of 5th Schedule in Scheduled Tribes areas

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा **):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा । आज हम आजादी और संविधान लागू होने की 75 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । संविधान के अंदर आदिवासियों का संरक्षण एवं उनके हितों के लिए पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है । लेकिन, इस पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है । चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं करना, यही दर्शाता है कि सरकारों की मानसिकता आदिवासियों के लिए कैसी है ।

सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर पांचवीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों की जमीन को किसी भी प्रोजेक्ट या कंपनी के लिए सीधे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है । इसके लिए वर्ष 1956 में पेसा कानून लाया गया था । पेसा कानून में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले संबंधित ग्राम सभा से सहमति लेनी चाहिए । देश में पाँचवीं और छठी अनुसूची के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां इस पेसा कानून को नजरअंदाज करते हुए एक लाइन लिख दी जाती है कि राष्ट्रहित के लिए जमीन ली जाती है । हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचा कर हम लोग कौन सा राष्ट्रहित चाह रहे हैं!

सभापति महोदय, यहां पर हम बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं, संविधान दिवस की वर्षगांठ मना लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हित के लिए जो प्रावधान हैं, वे आज भी धरातल पर लागू नहीं हैं ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** आपका स्पेसिफिक विषय आ गया है ।

श्री राजकुमार रोत **:** सभापति महोदय, मेरा यही विषय है कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में पेसा एक्ट की ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है ।

महोदय, अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको ठीक से लागू किया जाए ।? (व्यवधान)